CNR-UPLL010002802026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह)

(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP 6456

विविध वाद संख्या- 27/2026

रामसेवक बनाम परमानन्द आदि।

11.03.2026

1. पुकार लगायी गयी। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सविस्तार सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओऱ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी।

2. आवेदक/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ग्राम बनौनी थाना बानपुर का निवासी है। प्रार्थी के पुत्र गनेश की शादी वर्ष 2012 में निशा पुत्री परमानन्द निवासी ग्राम गढ़ौरा जागीर थाना ग्रामीण खुरई जिला सागर म०प्र० के साथ हुयी थी शादी के बाद लगभग 10 वर्ष अच्छी तरह से रही और फिर अपने पिता के साथ आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व अपने मायके चली गयी थी और फिर वापिस नहीं आई। प्रार्थी का पुत्र अनेक बार लिवाने के लिये गया और प्रार्थी भी अनेक बार लिवाने गया, लेकिन निशा के पिता ने भेजने से मना कर दिया। उक्त निशा अपने साथ स्वयं के स्त्रीधन जेवरात के अतिरिक्त प्रार्थी की पत्नी का जेवरात जिसमें सोने की पावाली वजनी एक तोला, चादी का करधौना वजनी 500 ग्राम व चांदी की पायले वजनी 300 ग्राम, बेलचूडी सोने की वजनी एक तोला व 10 हजार रूपया नगद लेकर गयी थी। प्रार्थी ने लिवाने वास्ते पंचायत भी जोडी, लेकिन फिर भी नहीं आयी। करीब 7-8 माह पूर्व निशा के पिता उक्त निशा को प्रदीप तनय बद्रीप्रसाद निवासी बसिया बरौदा थाना सुरखी जिला सागर म०प्र० से पैसा लेकर बेच दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को लगभग एक डेढ़ माह पूर्व हुयी जिस पर प्रार्थी ने उक्त निशा के पिता परमानन्द ने प्रार्थी के साथ गाली गलौच की और धमकी देते हुये कहा कि मैंने तेरा जेवरात हडप कर लिया है और आज के बाद यहां आया तो जान से खत्म कर दूंगा और प्रार्थी से रंजिश रखने लगा। दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 8 बजे रात्रि में जब प्रार्थी अपने घर बानौनी में था तभी निशा का पिता परगानन्द पुत्र मुरलीधर, जगदीश पुत्र परगानन्द, कल्यान पुत्र मुरलीधर, नीलेश पुत्र मुरलीधर, निवासीगण गढ़ौरा जागीर थाना खुरई ग्रामीण जिला सागर म०प्र० विशाल पुत्र दयाराम निवासी अथाईखेडा थाना सीरोज जिला विदिशा म०प्र०, मोनू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम बरेज थाना सीरोंज जिला विदिशा म०प्र०, प्रदीप पुत्र बद्रीप्रसाद, रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद निवासीगण बंसिया बरीदा थाना सुरखी जिला सागर म०प्र० नौकीलाल पुत्र दयाराम निवासी हीरापुर थाना सुरखी जिला सागर म०प्र० को लेकर एक चारपहिया जीप से आये और प्रार्थी के घर आकर प्रार्थी व उसकी पत्नी से बोले कि निशा की शादी में जो दहेज दिया था उसे वापिस दो प्रार्थी ने कहा कि निशा अपने साथ सारा जेवरात और घर का पुश्तैनी जेवरात साथ में ले गयी है मेरे यहा कुछ नहीं है इसी बात पर सभी लोग मारने पीटने पर आमदा हो गये और परमानंद ने प्रार्थी पर कट्टा अडा दिया। जगदीश व कल्यान

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.03.13 17:04:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लात घूंसो से मारपीट करने लगे प्रार्थी की पत्नी लडके बचाने के लिये आये तो उन्हें भी लात घूंसो से मारा जब शोर मचाया तो आवाज सुनकर गवाहान आने के पूर्व उक्त सभी ने बक्से में रखा सोने का मंगलसूत्र एक तोला, सोने की लल्लरी एक तोला और 50,000/- रूपया नगद ले जाने लगे तो प्रार्थी ने शोर मचाया और रोका तो उक्त लोगों ने प्रार्थी व उसके पूरे परिवार की लात घूंसो से मारपीट की और चाकू से जान से मारने की धमकी दी कि शोर सुनकर मौके पर बबलू तनय राजघर, हरदयाल तनय रग्गा, ग्याघर पुत्र कमतू व अन्य लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी तो उक्त लोग लूटा हुआ जेवरात व रूपया लेकर जान से मारने की धमकी देते हुये मागं गये। घटना की सूचना प्रार्थी ने थाना बानपुर में दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी जिस पर दिनांक 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मुल्जिमान द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया गया है जिसके लिये थानाध्यक्ष थाना बानपुर को उक्त मुल्जिमान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा दर्ज कराये जाने की याचना की गयी।

3. उक्त के सन्दर्भ में थाना बानपुर, जिला ललितपुर से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार दौरान विवेचना थाना हाजा पर रिकार्ड देखने पर आवेदक के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित दिनांक, समय रात्रि लगभग 08.00 बजे, स्थान आवेदक के घर पर कट्टा अड़ाकर लातघूसों से मारपीट कर बक्से से सोने का मंगलसूत्र एक तोला, सोने की लललरी एक तोला और 50,000/- रुपये नगद चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए लूट की घटना कारित की गयी है। इसके अतिरिक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज न होने पर आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक ललतिपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया है, जिससे उक्त लूट की घटना सत्य प्रतीत होती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने का उल्लेख है, जो आवेदक द्वारा दाखिल एसपी ललितपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की डाक रसीद आदि से पुष्ट होता है। आवेदक द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिये जाने पर आवेदक की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जिसके उपरान्त आवेदक उक्त घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दिये जाने के बावजूद भी थानाध्यक्ष ललितपुर द्वारा आवेदक की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रस्तुत मामले में विवेचना द्वारा ही साक्ष्य एकत्रित किया जाना संभव है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत करके पुलिस के माध्यम से विवेचना कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। थाना बानपुर, जिला ललितपुर के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के प्रार्थनापत्र के तथ्यों के प्रकाश में अविलम्ब सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रार्थना पत्र की एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जाये।

दिनांक **11.03.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।